हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

47 वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा

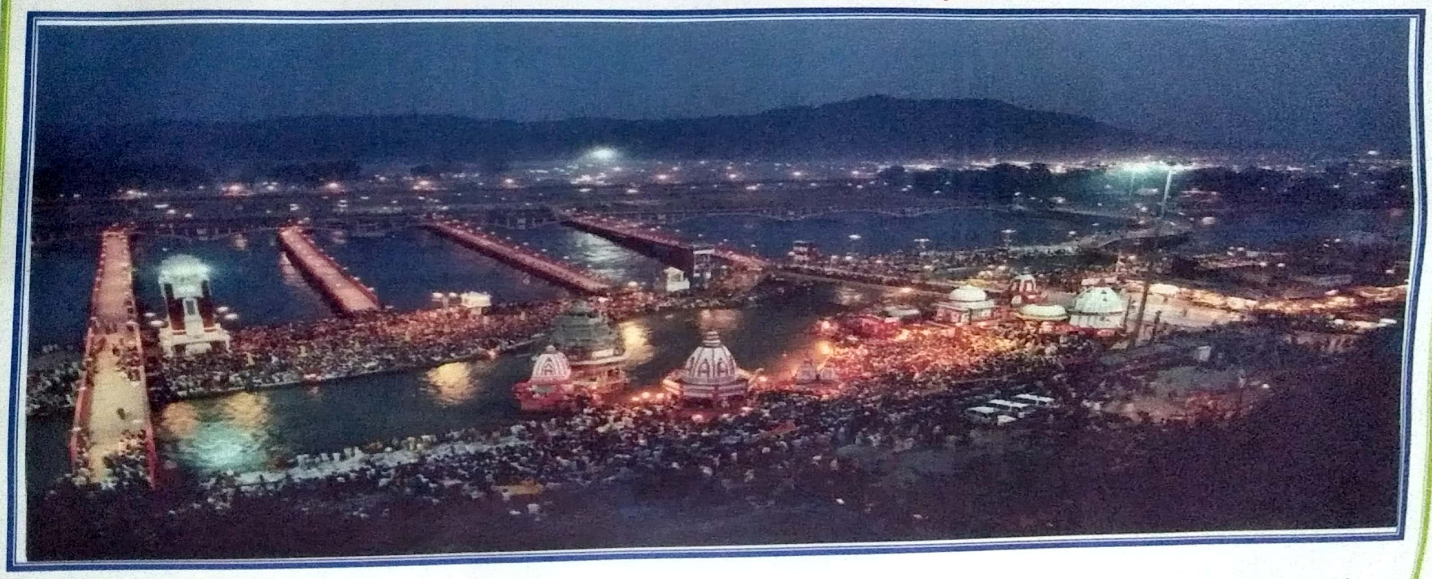

दिनांकः 18–09–2009

समयः अपराहन 4:00 बजे

स्थानः– केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष (मेला भवन), हरिद्वार

मद संख्या–47 (01)

प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2006– 2025 पर प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों के सम्बन्ध में ।

एस0टी0सी0पी0 द्वारा प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात् समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में संक्षेप में अवगत कराया गया। विचार विमर्श उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा एस0टी0सी0पी0 को यह निर्देश दिये गये कि 45 दिन के अन्दर इस सम्बन्ध में बोर्ड की एक विशेष बैठक करा कर आपत्तिवार प्रस्तुतिकरण बोर्ड के समक्ष किया जाय। इस सम्बन्ध में एस0टी0सी0पी0 द्वारा प्रस्तावित महायोजना प्रारूप 2006–2025 पर आपत्तिवार प्रस्तुतिकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है । कृपया विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यालय हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक 2386 /महायोजना –1(ख) –25 / 2007–08 दिनांक 16 नवम्बर 2009

विषय: हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2006–2025 के सम्बन्ध में ।

सेवा में,

वरिष्ठ नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (उत्तराखण्ड)
53, टी0एस0डी0सी0 विस्थापित क्षेत्र,
तोमर काम्पलेक्स, देहराखास, देहरादून।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्राधिकरण की 47 वी0 बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त एवं आपत्तियां / सुझावों के पश्चात समिति की संस्तुति मूलरूप में आपको बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–08 के अनुपालन में हरिद्वार महायोजना को अन्तिम रूप देने हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया महायोजना को अन्तिम रूप देते हुये शासन को संदर्भित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

16/11
उपाध्यक्ष,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः–
अध्यक्ष / आयुक्त महोदय को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रमुख सचिव (आवास)

16/11
उपाध्यक्ष

हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2025 पर प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात् समिति की संस्तुतियों को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुतीकरण सम्बन्धित एक मात्र एजेण्डा पर विस्तृत चर्चा एवं निर्णय हेतु दिनांक 18 सितम्बर, 2009 को अपरान्ह 4.00 बजे केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष (मेला भवन), हरिद्वार में आहूत 47वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त ।

शासन द्वारा नामित अधिकारीगण की उपस्थिति –

1–	डॉ0 उमाकान्त पंवार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2–	श्री आनन्द बर्द्धन, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	उपाध्यक्ष
3–	श्री मीनाक्षी सुन्दरम्, जिलाधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
4–	श्री बृज बी0 रतन, एस0टी0सी0पी0, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
5–	श्री कमल जौरा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार	सदस्य
6–	श्री रजनीश सेठी, सभासद प्रतिनिधि अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश	सदस्य

अन्य उपस्थिति –

1– श्री रणवीर सिंह चौहान, सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
2– श्री पी0एस0 रावत, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार
3– श्री अनिल त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
4– श्री हरिशचन्द्र सिंह राणा, सहायक अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
5– श्री अजय माथुर, सहायक अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
6– श्री गोविन्द सिंह, मानचित्रकार, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

1.0 उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया दिनांक 25–05–2009 के मद संख्या– 46(02) पर विचार हेतु बैठक में ही अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2025 पर प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई के उद्देश्य से शासनादेश संख्या– 1940/ V/ आ0–2007–152(आ0)/ 2007 दिनांक 07 नवम्बर, 2007 द्वारा उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के साथ प्राधिकरण की ओर से प्राप्त आपत्ति व सुझावों पर सुनवाई समिति की ओर से तैयार संस्तुतियों पर आधारित आलेख जो सभी सदस्यों के विचारार्थ उपलब्ध करवा दिया गया था, पर विचारोपरान्त अध्यक्ष एवं बोर्ड के सभी सदस्यों की राय अनुसार इस पर विस्तृत चर्चा हेतु पृथक से एक बैठक आहूत की जाए, के क्रम में पुनः इस प्रकरण पर उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों को वर्णित करते हुये प्रारम्भिक विवेचनात्मक विवरण का प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष किया जाये।

तत्क्रम में दिनांक 18 सितम्बर, 2009 को बोर्ड के समक्ष संस्तुतियों के प्रस्तुतीकरण से पूर्व बोर्ड की वांछनानुसार महायोजना प्रारूप के प्रस्तावों की संक्षिप्त रूपरेखा व समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के पृष्ठभूमि में एस0टी0सी0पी0, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि –

(क) हरिद्वार महायोजना प्रारूप– 2025 पर जनसाधारण, राजकीय, अर्द्धराजकीय कार्यालय, संस्थान एवं अभिकरण आदि से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से महायोजना प्रदर्शनी दिनांक 05 फरवरी, 2007 से 10 जुलाई, 2007 तक 6 विभिन्न स्थलों क्रमशः हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय, तहसील कार्यालय हरिद्वार, हरिद्वार ब्लॉक कार्यालय बहादराबाद, कलेक्ट्रेट परिसर, गायत्री लोक

....2

(शान्ति कुँज), हरिद्वार एवं मेला नियंत्रण कार्यालय, हरिद्वार में लगाई गयी। प्रदर्शनी के दौरान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं प्राधिकरण के तकनीकी कर्मियों द्वारा आगन्तुकों की वांछनानुसार महायोजना के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी भी दी जाती रही थी।

(ख) हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 46वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25–05–2009 के मद संख्या– 46(02) में प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2025 पर प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात् समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इसके लिए 45 दिन के अन्दर एक विशेष बैठक आमंत्रित कर आपत्तियों के प्रस्तुतीकरण व उन पर निर्णय एवं तत्आधारित महायोजना को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही सम्पन्न करने पर समुचित निर्णय भी लिया जा सके।

(ग) उक्त के सन्दर्भ में जन सामान्य व विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों का विश्लेषण करने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि कुल 517 प्राप्त आपत्ति/ सुझावों में एक ही स्थल व प्रकृति की आपत्ति को उसी क्षेत्र के नागरिकों ने पृथक–पृथक भी दिया गया है उदाहरणार्थ– भूपतवाला व निकटवर्ती क्षेत्र में प्राप्त 50 आपत्तियों में से एक ही प्रकार की 30 पृथक–पृथक आपत्तिकर्ताओं द्वारा, मायापुरी क्षेत्र में 23, कनखल के निकटवर्ती क्षेत्र में 34, रोशनाबाद में 20, बहादराबाद क्षेत्र के 43 एवं इसी प्रकार ज्वालापुर निकटवर्ती क्षेत्र में सर्वाधिक एक ही प्रकार के पृथक–पृथक 226 आपत्तिकर्ता थे। अतः आपत्ति एवं सुझावों को उनके मूल स्वरूप एवं एक ही स्थल के प्रकार व आधार पर, इकाई के रूप में श्रेणीबद्ध किये जाने के पश्चात् यह घटकर मात्र 128 ही रह जाती है। तथापि शासन स्तर से गठित समिति द्वारा क्षेत्रवार सुनवाई के दिवस लगभग सभी स्थलों का निरीक्षण करने उपरान्त सभी सुझाव व आपत्तिकर्ताओं को जिन्होंने स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की एवं उनको व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखा गया, क्रमशः अगस्त 06, 21, सितम्बर 18, अक्टूबर 06, नवम्बर 25, 2008 एवं 15 व 16 जनवरी, 2009 को क्षेत्रवार सुना भी गया एवं तद्आधारित अपनी संस्तुति तैयार की गई।

2.0 समस्त आपत्ति एवं सुझावों पर समिति की संस्तुति पर विचार के सन्दर्भ में एस0टी0सी0पी0 के प्रस्ताव कि यदि महायोजना प्रारूप में परिकल्पित नियोजन प्रस्ताव में कोई ड्राफ्टिंग त्रुटि अथवा संस्तुति पर विचार करते समय नीतिगत प्रस्ताव दृष्टिगोचर होता है तो उसका समायोजन महायोजना को अन्तिम रूप देते समय किये जाने से, महायोजना को अधिक प्रासंगिक व व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने में सहायक सिद्ध ही होगा, स्वीकार किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा संस्तुतियों के प्रस्तुतीकरण के सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्णय लेते हुए, सुझाव अनुसार कार्यवाही हेतु, उन्हें निदेशित किया गया।

2.1 आपत्ति संख्या–1 से 23 तक मुख्यतः हरिपुर कलां विशेषकर ऋषिकेश महायोजना के प्रस्तावों व संस्कृति विश्वविद्यालय के पीछे स्थित भाग तथा बन्द पड़े उमा भारती पब्लिक स्कूल पर की गयी आपत्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि संस्कृति विश्वविद्यालय के पीछे स्थित भाग को ऋषिकेश महायोजना के अनुसार तथा बन्द पड़े उमा भारती पब्लिक स्कूल के क्षेत्र को खुला क्षेत्र के स्थान पर प्रारूप अनुसार स्कूल में ही रखा जाय।

....3

2.2 आपत्ति संख्या 24, 25 एवं 27, दूधाधारी चौक ग्राम भूपतवाला कलॉ के प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में वर्णित पर निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं हर की पैड़ी के मध्य तिकोने भाग में शनि मन्दिर के पीछे स्थित भूभाग में रोड वाईडनिंग छोड़ने के पश्चात् विद्यमान व्यवसायिक में प्रदर्शित किया जाय। रेलवे लाईन एवं हर की पैड़ी मार्ग के मध्य स्थित भूखण्ड, जो मेला क्षेत्र के पार्किंग व बस अड्डा आदि में निरन्तर प्रयोग में है, को मेला क्षेत्र में ही दर्शाया जाए।

2.3 आपत्ति संख्या 28 से 30 पर प्रदर्शित प्रारूप अनुसार ही महायोजना प्रस्ताव के अनुसार ही रखे जाने की संस्तुति पर अनुमोदन, जबकि आपत्ति संख्या 26, 31 से 43 में ग्राम भूपतवाला कलॉ के प्रश्नगत क्षेत्र की आपत्ति के सम्बन्ध में समिति के स्थल निरीक्षण के आधार पर स्थल पर हुये निर्माण को दृष्टिगत रखते हुये 18 मी0 चौड़े मार्ग को यथावत् रखते हुये अवशेष को आवासीय में किये जाने पर सर्व सम्मत सहमति।

2.4 आपत्ति संख्या– 44 से 48 तक सप्त सरोवर मार्ग भूपतवाला के प्रश्नगत आपत्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि पूर्व महायोजना में कुम्भ मेला भूमि को यथावत् रखते हुये नवीन प्रस्ताव को शैक्षिक प्रयोजनार्थ रखा जाये तथा आपत्ति संख्या– 49 भूपतवाला चैक पोस्ट के पास सप्त सरोवर क्षेत्र में की गई आपत्ति को समिति की संस्तुति अनुसार निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

2.5 आपत्ति संख्या– 50 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर संस्तुति अनुसार शमशान घाट के सिम्बल को छोटा करने एवं अवशेष आवासीय के रूप में आरक्षित करने तथा आपत्ति संख्या– 51 में उल्लिखित पेट्रोल पम्प क्योंकि व्यवसायिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत भी आ सकता है। अतः आपत्ति का कोई औचित्य नहीं, संस्तुति के अनुरूप ही सहमति प्रकट की गई।

2.6 आपत्ति संख्या– 52 से 64 तक हिल बाईपास भगत सिंह चौक से वन विभाग के डी0एफ0ओ0 कार्यालय तक के क्षेत्र को महायोजना प्रारूप के अनुसार ही रखे जाने पर सभी एकमत थे। जबकि बिल्वेश्वर कालोनी को यथावत् दर्शाये जाने की संस्तुति की गई। जबकि आपत्ति संख्या– 65 पर मेला अस्पताल के निर्मित भवन एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत आवासीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तदानुरूप वन विभाग तक के मार्गाधिकार सुनिश्चित करते हुये मार्ग के समक्ष आंशिक भाग को आवासीय तथा अवशेष कुम्भ मेला क्षेत्र में रखे जाने की संस्तुति को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया। अवशेष ललताराव पुल से मेला अस्पताल तक 18 मीटर, उसके उपरान्त मनसा देवी की ओर के हिल बाईपास को 12 मीटर आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

2.7 आपत्ति संख्या– 66 भगत सिंह चौक के सन्निकट मार्ग के दोनों ओर के क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि महायोजना प्रारूप के अनुसार ही रखा जाय। जबकि आपत्ति संख्या– 67 आर्यनगर चौक से फाटक की ओर जाने वाले सड़क के दोनों ओर के क्षेत्र को व्यवसायिक तथा आपत्ति संख्या– 68 से 73 चन्द्राचार्य चौक से प्रेमनगर चौक बाईपास तक सड़क के दोनों ओर के क्षेत्र को व्यवसायिक करने सम्बन्धित संस्तुति को निरस्त करते हुये प्रारूप महायोजना के अन्य भागों में प्रदर्शित अनुसार ही बनाये रखने का निर्णय लिया गया।

2.8 आपत्ति संख्या– 74 से 76 तक आम के बाग के मध्य में प्रस्तावित 30 मी0 चौड़े मार्ग की आपत्ति पर समिति की संस्तुति अनुसार इस मार्ग को बाग के छोर के साथ–साथ नाले की ओर दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।

2.9 आपत्ति संख्या– 77 एवं 80 से 84 तक के आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों को संस्तुति अनुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया। जबकि 78 व 79 को महायोजना प्रारूप के अनुसार ही रखा जाने तथा 85 से 313 आपत्तिकर्ताओं के आर्यनगर चौक से रेलवे फाटक तक, मार्ग के दोनों ओर के क्षेत्र के सम्बन्ध में महायोजना क्षेत्रों के अन्य स्थानों पर प्रदर्शित व्यवसायिक क्षेत्र की सीमा तक समिति की संस्तुति अनुसार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

2.10 आपत्ति संख्या– 314 से 359 तक हनुमन्तपुरम कालोनी कनखल लक्सर रोड आई0टी0आई0 के सामने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि केवल स्थल पर व स्थित भवनों को ही आवासीय तथा प्राधिकरण के अनुसार यह विकास क्योंकि अतिक्रमण स्वरूप है; अतः महायोजना प्रारूप के अनुसार ही अवशेष भूभाग बस स्टाप, पार्किंग व खुले स्थल के रूप में ही रखा जाए।

2.11 आपत्ति संख्या– 360 ग्राम जगजीतपुर मुस्तहकम के प्रश्नगत क्षेत्र महायोजना प्रारूप के अनुसार, जबकि आपत्ति संख्या–361 से 362 तक लक्सर रोड निकट सती कुण्ड के प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया स्थल पर लघु उद्योग की पुष्टि के कारण औद्योगिक भू–उपयोग दर्शाये जाने की संस्तुति अनुमोदित।

2.12 आपत्ति संख्या–363 से 370 तक लक्सर रोड जमालपुर के प्रश्नगत क्षेत्र में प्रस्तावित बस अड्डा के सम्बन्ध में संस्तुति अनुसार स्थल पर फलदार वृक्ष होने के कारण इसे बाग, परन्तु नगरपालिका सीवेज फार्म में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर बस अड्डा तथा उसके उत्तर में आई0टी0 उपयोगार्थ भूभाग के एक ओर आंशिक भाग में टेलीफोन केन्द्र के प्रस्ताव की संस्तुति पर सहमति दी गई।

2.13 आपत्ति संख्या– 371 से 378 तक प्रारूप के अनुसार ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।

2.14 आपत्ति संख्या– 379 से 384 तक ग्राम कांगड़ी के प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि विद्यमान आबादी को दर्शाते हुये अवशेष क्षेत्र महायोजना प्रारूप के अनुसार ही रखा जाय।

2.15 आपत्ति संख्या– 385 से 415 तक एवं 435 ग्राम अनेकी हेतमपुर में बी0एच0ई0एल0 के पश्चिमी सीमा में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि नवोदय विद्यालय के समक्ष सुझाव अनुसार राजकीय भू–उपयोग की भूमि में इसे प्रस्तावित करते हुये अवशेष भूमि के मार्ग को यथावत् रखते हुये, आवासीय न्यून घनत्व में रख जाने का निर्णय लिया गया। जबकि 416 से 425 तक सुझावानुसार कृषि में प्रदर्शित करने का निर्णय व सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस अवयव को सूखे नाले के भाग में करने का निर्णय।

2.16 आपत्ति संख्या– 426 से 432 जो महायोजना प्रारूप में मार्ग संरचना दर्शायी गयी है, को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया तथा आपत्ति संख्या– 433 से 434 व 436 से 459 तक ग्राम सलेमपुर महदूद के प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि शासन के गजट अनुसार कार्यवाही की जाय। तदानुसार शेष भूमि का भू–उपयोग आवासीय निम्न घनत्व दर्शाये जाने की संस्तुति के साथ स्थानीय बस अड्डा व पार्क सहित समुचित मार्ग संशोधन जैसाकि सिडकुल द्वारा निर्मित मार्ग संरेखन व अवशेष प्रारूप के अनुसार ही रखा जाने का निर्णय लिया गया।

2.17 आपत्ति संख्या– 460 से 514 तक राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बहादराबाद से पतांजली की ओर नदी के पुल तक अतमलपुर बोंगला में मार्ग के दोनों ओर के क्षेत्र के सम्बन्ध में समिति के निर्णयानुसार एन0एच0 के दोनों ओर व्यवसायिक उपयोग का आईसोलेशन में कोई औचित्य नहीं है। अतः इसे पूर्ववत् कृषि में ही रखा जाय।

2.18 आपत्ति संख्या– 515 पर उठाई गयी आशंकायें निर्मूल हैं। क्योंकि महायोजना में सर्वाधिक उद्यानों को संरक्षित किया गया वहीं प्रसिद्ध बाग को यथावत् संरक्षित किया गया है। पूर्व महायोजना में नदी किनारे वाली सड़क 45 मीटर व सांस्कृतिक, जबकि प्रारूप में 30 मीटर मार्ग के साथ सांस्कृतिक एवं बाग दर्शाया है। पूर्व महायोजना की भान्ति ही यह उपयोग सामुदायिक श्रेणी का है तथा चिकित्सालय का प्रस्ताव खाली भूमि पर किया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने पर सहमति प्रकट की गई।

2.19 आपत्ति संख्या– 516 एवं 517 आश्रम भू–उपयोग आवासीय में दर्शाये जाने पर संतों एवं मंहतों को आपत्ति होने तथा अन्य कतिपय आपत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार कर आश्रम के धार्मिक प्रयोजन तथा यात्रीयों के सामुहिक प्रवास को दृष्टिगत रख इसे ग्रुप हाउसिंग से भिन्न उपयोग के रूप में मानक निर्धारित किये गये हैं। इसमें आश्रम पद्धति के मार्गो का प्रावधान विभिन्न उपयोगों के नियोजन सम्मत किया गया है। अतः प्रारूप के अनुसार ही प्रस्ताव रखे जाने की समिति की संस्तुति यथावत अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

3.0 ग्रामीण क्षेत्र विकास जो घोड़ा पुलिस कैम्प के साथ हो चुका है, को कुम्भ मेला में दर्शाया जाना तर्कसंगत नहीं होगा। अतः इसकी सीमा के उपरान्त कोई नवीन प्रस्ताव न किया जाय। अवशेष बैरागी कैम्प क्षेत्र को यथावत् कुम्भ मेला क्षेत्र व विद्यमान बाग को यथावत् आरक्षित रखे जाने की संस्तुति।

4.0 समिति द्वारा एकमत से संस्तुति की गई कि बहादराबाद से पंतजली योग केन्द्र की ओर स्थित नदी पुल तक के मार्ग के दोनों ओर व्यवसायिक उपयोग का आईसोलेशन में कोई औचित्य नहीं। अतः बोर्ड द्वारा ब्लॉक आफिस के उपरान्त इसे कृषि में ही रखे जाने पर सर्व सम्मत निर्णय लिया गया।

5.0 राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहादराबाद–बी0एच0ई0एल0 से सम्पर्क मार्ग, भारत माता मन्दिर–पावन धाम की क्रासिंग पर राष्ट्रीय मार्ग के भाग पर एलीवेटेड मार्ग का भी प्रावधान समाहित कर लिये जाने का निर्णय लिया गया।

6.0 महायोजना क्षेत्र में भूपतवाला से हरिद्वार, कनखल एवं ज्वालापुर तक गंगा नदी, गंगा नहर एवं अन्य गंगा की धाराओं के दोनों किनारों से 100–100 मीटर तक की सीमा में विद्यमान निर्मित भवनों के पुनर्निर्माण, परिवर्तन व

परिवर्द्धन की अनुमन्यता महायोजना प्रस्तावों एवं प्रचलित भवन निर्माण व विकास उपविधियों के अनुरूप केव उस स्थिति में ही विचारणीय होगी यदि उस क्षेत्र में सीवेज प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था विद्यमान हो तथा गं नदी, गंगा नहर एवं अन्य गंगा की धाराओं के किनारे की ओर न्यूनतम 6 मीटर क्षेत्र खुला रखा जाए तथ न्यूनतम मार्गाधिकार 9 मीटर होना सुनिश्चित किया गया हो। जबकि 100–100 मीटर के पश्चात क्षेत्र में सीवे प्रणाली की उपलब्धता एवं न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार सुनिश्चित कराने के प्रतिबन्ध के साथ महायोज प्रावधानानुसार ही अनुमन्य होगी। महायोजना के अवशेष भाग में गंगा नदी व गंगा नहर के दोनों ओर के दोन तटीय क्षेत्र के 200–200 मीटर भाग में किसी भी प्रकार का निर्माण न हो, इस पर बोर्ड द्वारा बल देते हु निर्णय लिया कि महायोजना को शासन से स्वीकृति हेतु प्रेषण से पूर्व एस0टी0सी0पी0, नगर एवं ग्राम नियोज विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि इसे वृक्षाच्छादित आरक्षित क्षेत्र में प्रस्तावित किया जाय।

7.0 नजीबाबाद मार्ग एवं गंगा नदी के मध्य स्थित ग्रामीण आबादी समूह विशेषकर सज्जनपुर पीली एवं श्यामपु नौआबाद को आवासीय न्यून घनत्व में ही दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया अवशेष प्रस्ताव प्रारूप के अनुसा ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।

8.0 महायोजना प्रारूप पर समस्त आपत्ति व सुझावों पर गठित समिति की संस्तुतियों पर विस्तृत चर्चा व नीतिगत विषयक निर्णयों के सन्दर्भ में प्राधिकरण बोर्ड एकमत था कि महायोजना को अन्तिम रूप देने में और अधिक विलम्ब न हो, इस उद्देश्य से प्राधिकरण की ओर से एस0टी0सी0पी0, नगर एवं ग्राम नियाजन विभाग, उत्तराखण्ड को प्राधिकृत करते हुये सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि एस0टी0सी0पी0 उक्त वर्णित निर्णयों को समायोजित करते हुये हरिद्वार महायोजना को अन्तिम रूप देकर विलम्बतः नवम्बर 15, 2009 तक शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित कर लें।

9.0 महायोजना में सम्पूर्ण क्षेत्र को ग्यारह स्वपोषित प्रखण्डों में विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकार्य करते हुये इन क्षेत्रों में संतुलित आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से विस्तृत सरंचनात्मक प्रखण्डीय योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता पर प्राइवेट कन्सलटेन्सी से तैयार करवाने का निर्णय लियां गया। सक्षम टाउन प्लानर्स फर्मो से समयबद्ध कार्य पूर्ण करवाने के उद्देश्य से उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को प्राधिकृत करते हुये महायोजना के अनुरूप प्रखण्डीय योजना तैयार करते समय एस0टी0सी0पी0 स्तर से समय–समय पर सहयोग व अनुश्रवण कराने का निर्णय भी लिया गया।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष व सभी सदस्यों का महायोजना को अन्तिम रूप देने की स्वीकार्यता पर प्रसन्नता व आभार व्यक्त करते हुये, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गई।

(आनन्द बर्द्धन)
उपाध्यक्ष।

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।

शासनादेश संख्या– 1940/ V/ आ0–2007–152(आ0)/ 2007 दिनांक 07 नवम्बर, 2007 द्वारा हरिद्वार महायोजना प्रारूप– 2025 पर प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया–

1– उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार अथवा उनके प्रतिनिधि जो सचिव, ह0वि0प्रा0 हो — अध्यक्ष

2– अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार या इनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अधिशासी अभियन्ता स्तर से कम न हो — सदस्य

3– वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून या इनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो सहायक नियोजक स्तर से कम न हो। — सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त यथा आवश्यकतानुसार समय–समय पर विशेष आमंत्री के रूप में क्रमशः जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम का न हो या नगरपालिका परिषद, हरिद्वार के अधिशासी अधिकारी या प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार, अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल विभाग एवं विद्युत विभाग को भी सम्मिलित कर सकेगें।

हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2025 पर कुल प्राप्त 517 आपत्तियों/ सुझावों पर उक्त गठित समिति द्वारा दिनांक 06–08–2008, 21–08–2008, 06–10–2008, 25–11–2008 एवं 15–16 जनवरी, 2009 को आपत्तियों से सम्बन्धित स्थल निरीक्षण एवं क्षेत्रवार सुनवाई पर आधारित एवं समिति द्वारा अन्तिम रूप देने हेतु 25 मार्च, 2009 के निर्णयानुसार संस्तुतियाँ।

क.सं.	आपत्ति संख्या	विवरण	प्रारूप में प्रस्तावित भू–उपयोग	समिति की संस्तुति
1.	1 से 23	आपत्तिकर्ता की भूमि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पीछे है उक्त स्थल को पार्क भू–उपयोग में प्रस्तावित किया गया है। जबकि यह एक आवासीय कालोनी है एवं खसरा नं0–25 व 46 को बस अड्डा, खसरा नं0– 91, 92 को भी स्थानीय बस अड्डा प्रस्तावित दर्शाया गया है। एवं खसरा नं0–82, 83, 781, 782, 783 पर उमा भारती के नाम से पब्लिक स्कूल को बन्द कर दिया गया है। उक्त को व्यवसायिक भू–उपयोग दर्शाये जाने की मांग की गयी है।	उक्त क्षेत्र में बस अड्डा, स्थानीय बस अड्डा, पार्क एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उपखण्डीय व्यवसायिक तथा आवासीय प्रस्तावित है। आवासीय प्रदर्शित है।	प्रचलित ऋषिकेश महायोजना 2011 के अनुसार ही रखा जाय। एवं पूर्व हरिद्वार महायोजना में यह खुला पार्क क्षेत्र था अतः तदानुसार खुला क्षेत्र/ स्कूल में रखा जाना उचित।
2.	24, 25, 27	दूधाधारी चौक ग्राम भूपतवाला कलॉ के खसरा नम्बर 27 मि0, 28 मि0 30/31 मि0 हाल में 48 खसरा नं0– 4 मि0 का भू–उपयोग कुम्भ मेला हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसको व्यवसायिक भू–उपयोग करने की मांग की गयी है।	उक्त क्षेत्र को कुम्भ मेला भू–उपयोग प्रदर्शित है।	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं हर की पैड़ी के मध्य तिकोने भाग में शनि मंदिर के पीछे मेला क्षेत्र के स्थान पर रोड़ वाईडिंग छोड़ने के पश्चात् पूर्व महायोजना के अनुसार आवासीय प्रदर्शित किया जा सकता है। जबकि मुख्यतः भूखण्ड जो रेलवे लाईन एवं हर की पैड़ी मार्ग के मध्य स्थित हैं, को मेला क्षेत्र में रखा जाना उचित होगा।
3.	28 से 30	आवासीय भू–उपयोग को आश्रम, भरत माता मन्दिर, सप्त ऋषि आश्रम छोटे त्रिभुज में 18 मी0 सड़क एवं दूधाधारी चौक से हरिद्वार–ऋषिकेश मार्ग की चौड़ाई 50 मी0 किया जाना उचित होगा।	आश्रम भू–उपयोग के अन्तर्गत भरत माता मन्दिर की सड़क 18 मी0 एवं दूधाधारी चौक से हरिद्वार–ऋषिकेश मार्ग को 50 मी0 प्रस्तावित।	आवासीय एवं आश्रम एक ही भू–उपयोग अन्तर्गत भरत माता मन्दिर एवं सप्त ऋषि मन्दिर के दर्शनार्थ निरंतर वृद्धिमान जन दबाव की दृष्टि से लोकहित में 18 मी0 सड़क तथा दूधाधारी चौक से मुख्य सड़क पूर्व महायोजना में 60 मी0 के स्थान पर 50 मी0 को यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय। आपत्ति निरस्त करने योग्य।

4.	26, 31 से 43	ग्राम भूपतवाला कलॉ में विकसित शुभम एन्कलेव जिसका खसरा नं0– 59 है, का भू–उपयोग कुम्भ मेला क्षेत्र एवं 18 मी0 चौड़ा मार्ग प्रस्तावित है। जिसका भू–उपयोग आवासीय दर्शाये जाने की मांग की गयी है।	उक्त क्षेत्र को कुम्भ मेला भू–उपयोग प्रदर्शित है।	स्थल निरीक्षण पर यह स्पष्ट हुआ कि मुख्यतः 2001 महायोजना का अतिक्रमण कर यह विकास किया गया है। अतः 18 मी0 चौडे मार्ग को यथावत रखते हुये अवशेष को आवासीय प्रदर्शित किया जा सकता है।
5.	44 से 48	सप्त सरोवर मार्ग भूपतवाला हरिद्वार के खसरा नं0– 935क, 936क, 937 का भू–उपयोग कुम्भ मेला दर्शाया गया है। उक्त को आवासीय दर्शाया जाय।	उक्त क्षेत्र को कुम्भ मेला भू–उपयोग प्रदर्शित है।	पूर्व महायोजना में कुम्भ मेला भूमि को यथावत रखते हुये नवीन प्रस्ताव को शैक्षिक संस्थान में रखा जाना उचित होगा।
6.	49	भूपतवाला चैक पोस्ट के पास सप्त ऋषि सरोवर पर प्रस्तावित महायोजना में आवासीय दर्शाया गया है। व्यवसायिक की मांग की गयी है।	प्रश्नगत क्षेत्र के आस–पास आश्रम भू–उपयोग दर्शाया गया है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार ही रखा जाय। आपत्ति निरस्त की गई।
7.	50	आवेदक की भूमि को शमशान घाट में दिखाया गया है जिस पर उन्हें आपत्ति है।	शमशान घाट का सिम्बल बड़ा होने के कारण आवेदक की भूमि (आवासीय) सिम्बल से ढक गयी है।	शमशान घाट का सिम्बल मानचित्र में छोटा कर दिया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट हो गई।
8.	51	विगत 50 वर्षों से चल रहे पेट्रोल पम्प को व्यवसायिक में दर्शाया गया है। अतः पेट्रोल पम्प दर्शाया जाय।	व्यवसायिक के अन्तर्गत दर्शाया गया है।	पेट्रोल पम्प व्यवसायिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत आता है। अलग से पेट्रोल पम्प दर्शाया जाना सम्भव नहीं है।
9.	52 से 64	हिल बाईपास भगत सिंह चौक से वन विभाग के डी0एफ0ओ0 कार्यालय तक आवासीय व औद्योगिक दर्शाया गया है तथा 30मी0 चौड़ा मार्ग प्रस्तावित है। उक्त को व्यवसायिक भू–उपयोग दर्शाने की मांग की गई है।	महायोजना प्रारूप में औद्योगिक/ आवासीय प्रस्तावित किया गया है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार रखा जाना उचित होगा। तथापि बिल्वेश्वर कालोनी को यथावत दर्शाये जाने की संस्तुति।
10.	65	मेला अस्पताल के सामने गरीब दलित मकान निर्मित एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत क्षेत्र को मेला क्षेत्र में दर्शाया गया है।	उक्त क्षेत्र को कुम्भ मेला क्षेत्र में दर्शाया गया।	बिल्केश्वर मार्ग वन विभाग तक मार्गाधिकार सुनिश्चित कर आंशिक भाग मार्ग के समक्ष आवासीय तथा अवशेष कुम्भ मेला क्षेत्र में रखे जाने का निर्णय एवं ललताराव पुल से मेला अस्पताल तक 18 मी0 एवं मन्सा देवी की ओर हिल बाईपास 12 मीटर की संस्तुति।

11.	66	प्लाट सं0 398 भगत सिंह चौक के सन्निकट मार्ग के दोनों ओर उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा स्वीकृत व्यवसायिक बहुखण्डीय निर्माण निर्मित है। अतः क्षेत्र को व्यवसायिक भू–उपयोग में रखा जाय।	क्षेत्र को सड़क के दोनों ओर आवासीय दर्शाया गया है।	महायोजना प्रारूप अनुसार ही रखा जाना उचित। आपत्ति निरस्त की गई।
12.	67	आर्यनगर चौक से फाटक की ओर जाने वाले सड़क के दाहिने तरफ व्यवसायिक तथा बांई तरफ व्यवसायिक के पश्चात् ही आवासीय दर्शाया गया है।	आवासीय क्षेत्र दर्शाया गया है।	विद्यमान गहराई तक व्यवसायिक किया जाना उचित।
13.	68 से 73	चन्द्राचार्य चौक से प्रेमनगर चौक बाईपास तक सड़क के दोनों ओर आवासीय भू–उपयोग दर्शाया गया है तथा वाहनों का आवागमन की संख्या 3144 दर्शायी गयी है जो कि गलत है। मार्ग के दोनों ओर व्यवसायिक भू–उपयोग की मांग की गयी है।	महायोजना प्रारूप में आवासीय प्रस्तावित किया गया है।	प्राथमिक सर्वे के आधार पर ऑकड़े सही हैं। आपत्ति निरस्त की जाती है।
14.	74 से 76	30 मी0 चौड़ी सड़क आम के बाग के मध्य से प्रस्तावित की गई है। यह सड़क नाले के किनारे जिस पर नगरपालिका सीवेज का प्रयोग करती है, में दर्शाया जाय।	बाग एवं बाग के मध्य 30 मी0 चौडी सड़क प्रस्तावित।	सुझाव से सहमत। यातायात प्रवाह हेतु नाला यथावत् बनाये रखते हुये 30 मी0 चौड़ा मार्ग बाग के किनारे–किनारे किये जाने का निर्णय।
15.	77	खसरा नं0– 1338/ 3 ज्वालापुर में होली गैंगेज स्कूल 2001 से चल रहा है। अतः इसे सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत लिया जाय।	प्रश्नगत स्थल को ट्रान्सपोर्ट नगर में दर्शाया गया हे।	ट्रान्सपोर्ट नगर के दक्षिण में यह भू–भाग पड़ता है। अतः 24 मी0 चौड़ी सड़के के अन्तर्गत का भू–भाग ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु दर्शाया गया है। आपत्ति निरस्त की गई।
16.	78	महायोजना में आवासीय दर्शाया गया है। अतः इसे व्यवसायिक दर्शाया जाय।	महायोजना प्रारूप में व्यवसायिक दर्शाया गया है।	यथावत् बनाये रखा जाना उचित।
17.	79	खसरा नं0– 170/ 119 में आपत्तिकर्ता का कथन कि मौके पर 8 दुकानें बनी है। अतः इसे व्यवसायिक किया जाय।	नहर किनारे पार्क में दर्शाया गया है।	पार्क में ही रखा जाना उचित। आपत्ति निरस्त की गई।
18.	80	खसरा नं0– 1121 को बहादराबाद से ट्रान्सपोर्ट नगर को जोड़ने वाले प्रस्तावित मार्ग से दो भागों में विभक्त हो रहा है।	प्रश्नगत क्षेत्र आवासीय दर्शाया गया है।	महायोजना प्रारूप अनुसार ही रखा जाय। आपत्ति निरस्त की गई।

(110)

19.	81	खसरा नं0– 1165 व 1166 को कृषि में दर्शाया गया है। इसे आवासीय किया जाय।	आवासीय भू–उपयोग में दर्शाया गया है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार ही रखा जाय।
20.	82	खसरा नं0– 1248 को आवासीय दर्शाया गया है। इसे व्यवसायिक किया जाय।	आवासीय भू–उपयोग में दर्शाया गया है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार ही रखा जाय। आपत्ति निरस्त की गई।
21.	83	खसरा नं0– 213 ग्रीन लैण्ड उपयोग में दर्शाया गया है। इसे व्यवसायिक किया जाय।	मुख्य सड़क एवं नहर के बीच होने के कारण ग्रीन लैण्ड में दर्शाया गया है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार ही रखा जाय। आपत्ति निरस्त की गई।
22.	84	खसरा नं0– 218 एवं 296 राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित होने के कारण इसे व्यवसायिक किया जाय।	आवासीय भू–उपयोग में दर्शाया गया है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार ही रखा जाना उचित। आपत्ति विचार योग्य नहीं।
23.	85 से 116	आर्यनगर चौक से रेलवे फाटक तक उत्तरी किनारा व्यवसायिक तथा दक्षिण किनारा आवासीय दर्शाया गया है जबकि मार्ग के दोनों ओर 90 प्रतिशत व्यवसायिक है। अतः व्यवसायिक भू–उपयोग दर्शाया जाय।	महायोजना प्रारूप में आवासीय/ व्यवसायिक, उद्योग प्रस्तावित किया गया है।	प्रस्तुत अभिलेखों के संदर्भ में इंगित अनुसार दोनों ओर निर्धारित बाजार दर्शाया जाय।
24.	117 से 146	आर्यनगर चौक से उच्चा पुल रेलवे तक दोनों ओर आवासीय दर्शाया गया है। जबकि मार्ग के दोनो ओर दुकानें, स्कूटर/ मोटर साईकिल शोरूम इत्यादि व्यवसायिक गतिविधियॉं विद्यमान हैं। अतः व्यवसायिक भू–उपयोग करने की मांग की गयी है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग आवासीय प्रदर्शित है।	प्रस्तुत अभिलेखों के संदर्भ में इंगित अनुसार दोनों ओर निर्धारित बाजार दर्शाया जाय।
25.	147 से 313	ज्वालापुर सेक्टर–2 बैरियर से रेलवे फाटक तक सड़क के दोनों ओर आवासीय भू–उपयोग दर्शाया गया है जबकि मौके पर दोनों ओर व्यवसायिक गतिविधियॉं विद्यमान हैं। उक्त को व्यवसायिक करने की मांग की गई है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग आवासीय प्रदर्शित है।	प्रस्तुत अभिलेखों के संदर्भ में इंगित अनुसार दोनों ओर निर्धारित बाजार दर्शाया जाय।
26.	314 से 359	हनुमन्तपुरम कालोनी कनखल लक्सर रोड़ आई0टी0आई0 के सामने बस अड्डा/ पार्किंग दर्शाया गया है जबकि उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कालोनी बस चुकी है। उक्त को आवासीय भू–उपयोग प्रदर्शित करने की मांग की गयी है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग बस अड्डा/ पार्किंग प्रदर्शित है।	स्थानीय परीक्षण पर अधिक क्षेत्र विकसित आवासीय तथा स्वीकृत कालोनी के संदर्भ में आवासीय दर्शाते हुये पार्किंग का प्राविधान अवशेष खुले स्थान पर रखा जाय।

27.	360	ग्राम जगजीपुर मुस्तहकम के खसरा नं0– 200/ 3 का भू–उपयोग बस अड्डे दर्शाया गया है जो गलत है। साधु संतो के उपयोग में कुम्भ/ अर्द्धकुम्भ मेले में आती है। उक्त का भू–उपयोग आवासीय किया जाय।	महायोजना प्रारूप के अनुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग बस अड्डा/ पार्किंग प्रदर्शित है।	महायोजना प्रारूप के प्रस्ताव ही उचित। आपत्ति निरस्त योग्य।
28.	361 से 362	लक्सर रोड निकट सती कुण्ड खसरा नं0– 120 में आवासीय दर्शाया गया है जबकि मौके पर उद्योग है जिसका मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है। उक्त का भू–उपयोग व्यवसायिक दर्शाया जाय।	महायोजना प्रारूप के अनुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग आवासीय प्रदर्शित है।	लघु उद्योग के अतंर्गत पुष्टि तदानुसार दर्शाने की संस्तुति।
29.	363 से 374	लक्सर रोड़ जमालपुर कलॉं के अतंर्गत जिसका खसरा नं0– 426, 427, 429 जिसमें बस अड्डा प्रदर्शित है। उक्त में 66 बीघा बाग में 949 फलदार वृक्ष हैं। उक्त को परिवर्तित किया जाना चाहिए।	महायोजना प्रारूप के अनुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग बस अड्डा प्रदर्शित है।	बाग रखना ही उचित होगा। नगरपालिका की भूमि जिस पर सीवेज अतंर्गत है। क्योंकि बहुस्तरीय हास्पिटल निकटवर्ती क्षेत्र में पूर्व से ही प्रस्तावित है। अतः भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर बस अड्डा तथा उसके उत्तर में आई0टी0 उपयोगार्थ भूभाग के एक ओर टेलीफोन केन्द्र हेतु प्रस्ताव कर दिये जाने की संस्तुति।
30.	375, 376	देवपुरा अहतमाल नान जेड ए गंगा पार में कई व्यक्तियों द्वारा निवास एवं काली मॉं का मन्दिर है। अतः इस क्षेत्र को मेला क्षेत्र से मुक्त किया जाय।	कुम्भ मेला क्षेत्र भू–उपयोग में दर्शाया गया हे।	मन्दिर के दर्शनार्थ हेतु लोगों के आवागमन के लिए इस क्षेत्र को कुम्भ मेला क्षेत्र में रखा जाना उचित। आपत्ति निरस्त की गई।
31.	377	कनखल ज्वालापुर मार्ग को 18 मी0 चौड़ा औचित्यपूर्ण नहीं है। इसे सती कुण्ड तक 18 मी0 चौड़ा रखा जाय।	महायोजना प्रारूप में कनखल–ज्वालापुर मार्ग तथा लक्सर मार्ग को सती कुण्ड तक 18 मी0 ही दर्शाया गया है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार ही प्रस्ताव रखा जाना उचित।
32.	378	गुलाब बाग व मिश्रा बाग को आवासीय में परिवर्तन कर बागों का कटान किया जा रहा है।	अवशेष बाग रहित भूभाग को महायोजना प्रारूप मे आवासीय भू–उपयोग में दर्शाया गया है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार ही रखा जाना उचित। विद्यमान बागों को प्रारूप महायोजना में बाग ही दर्शाया गया है। निरंतर वृद्धिमान यात्रियों के दबाव व पार्किंग व प्रशासनिक प्रयोजनार्थ।

33.	379 से 384	ग्राम कागडी जिसका खसरा नं0– 162 है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 74 हरिद्वार–नजीबाबाद मार्ग पर स्थित है। उक्त को जंगल भू–उपयोग दर्शाया गया है जो गलत है। उक्त को आवासीय भू–उपयोग दर्शाया जाय।	महायोजना प्रारूप के अनुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग जंगलात प्रदर्शित है।	विद्यामान ग्रामीण आबादी दर्शायी जा सकती है। अन्य भूमि को महायोजना प्रारूप के अनुसार रखा जाय।
34.	385 से 425	ग्राम अनेकी हेतमपुर में बी0एच0ई0एल0 की पश्चिम सीमा से लगी है, को उक्त महायोजना में सामुदायिक सुविधा, अग्नि शमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र प्रदर्शित है। उक्त भूमि को अवमुक्त किया जाय। व्यवसायिक भू–उपयोग दर्शाने की मांग की गयी है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग सामुदायिक सुविधा इत्यादि प्रदर्शित है।	नवोदय विद्यालय के समक्ष सुझाव अनुसार राजकीय भू–उपयोग की भूमि के एक ओर यह प्रस्तावित करते हुये इस भूमि को आवासीय न्यूनतम घनत्व दर्शाये जाने की संस्तुति तथा मार्ग को यथावत रखा जाय।
35.	426 से 432	प्रस्तावित महायोजना में सलेमपुर महदूद–2 के खसरा नं0– 1328 के साथ 24 मीटर मार्ग दर्शाया गया है, जिससे कृषकों की भूमि प्रभावित हो रही है, जिस पर उन्हें आपत्ति है।	मार्ग को यथावत रखा जाना ही आवश्यक व उचित।	महायोजना प्रारूप के अनुसार रखा जाय।
36.	435	सलेमपुर महदूद के खसरा नं0– 502 को प्रस्तावित महायोजना में अग्निशमन केन्द्र व दूरभाष केन्द्र दर्शाया गया है, जिस पर उन्हें आपत्ति है। जवाहर नवोदय विद्यालय के सामने बी0एच0ई0एल0 की खाली पड़ी जमीन पर अग्नि शमन व दूरभाष केन्द्र स्थापित करने की मांग की गयी है।	नवोदय विद्यालय के दक्षिण भाग में महायोजना प्रारूप में राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित किया गया है।	नवोदय विद्यालय के समक्ष सुझाव अनुसार राजकीय उपयोग की भूमि को मार्ग के एक ओर दर्शाते हुए आनेकी हेतमपुर की भूमि को आवासीय न्यून घनत्व में दर्शाये जाने की संस्तुति जबकि मार्ग यथावत रखा जाय। शेष महायोजना प्रारूप के अनुसार रखा जाय।
37.	433 से 434 व 436 से 459	ग्राम सलेमपुर महदूद में औद्योगिक क्षेत्र को आवासीय दर्शाया गया है जबकि शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। खसरा नं0– 1600, 1601 में बस अड्डा प्रस्तावित किया गया है। जबकि खसरा नं0– 1593, 1597, 1599 को आवासीय प्रस्तावित किया गया है। उक्त को आवासीय से व्यवसायिक करने की मांग है। 45 मी0 चौड़े मार्ग के दोनो ओर का भू–उपयोग बस अड्डा प्रदर्शित है इसे व्यवसायिक करने की मांग की गयी है।	महायोजना प्रारूप के अनुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग बस अड्डा/ सामुदायिक/ आवासीय प्रदर्शित है।	शासन के गजट अनुसार औद्योगिक परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञप्ति में घोषित क्षेत्र के तदानुसार औद्योगिक में, सिडकुल द्वारा निर्मित मार्ग संरेखन के अतिरिक्त इस ओर प्राप्त भूमि में स्थानीय बस अड्डा जबकि अवशेष में आवासीय निम्न घनत्व में दर्शाये जायें। संशोधन जैसा कि सिडकुल द्वारा निर्मित मार्ग संरेखन व अवशेष प्रारूप के अनुसार ही रखा जाय।

38.	460 से 514	**राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बहादराबाद से पतांजली की ओर नदी के पुल तक मार्ग के दोनों ओर व्यवसायिक भू–उपयोग दर्शाया गया है। जो गलत है। उक्त को कृषि भू–उपयोग में दर्शाये जाने की मांग की गयी है।**	महायोजना प्रारूप के अनुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग व्यवसायिक प्रदर्शित है।	समिति एकमत थी कि एन0एच0 के दोनों ओर व्यवसायिक उपयोग का आईसोलेशन में कोई औचित्य नहीं। अतः इसे पूर्ववत् कृषि में ही रखा जाय।
39.	515	महायोजना में पर्यावरण की दृष्टि से कनखल/ जगजीतपुर के प्रसिद्ध बागों को महायोजना में नहीं दिखाया गया है बल्कि उन स्थलों पर अन्य प्रस्ताव दिये गये। लक्सर रोड़ आनन्दमयी मार्ग के जक्सन से लम्बा पुल कांगडी के निकट बिजनौर बाईपास से मिलाते हुये दिखाया गया है जो सघन आबादी क्षेत्र से शुरू होकर जाता है मातृसदन के निकट जो स्थान पूर्व महायोजना में सामुदायिक सुविधाओं के रूप में संरक्षित था, उस स्थान पर प्रस्तावित महायोजना में सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान एवं खण्डीय/ उपखण्डीय व्यापारिक क्षेत्र तथा कार्यालय दिखाया गया है, जो वर्तमान में बागों से घिरा हुआ है तथा मातृसदन आश्रम से सड़क को महायोजना में दर्शाया जाना भू–माफियों से प्रभावित होना है। मातृसदन की भूमि पर गंगा किनारे एक लम्बी सड़क प्रस्तावित है जो बागों के बीच से होकर जायेगी जिससे पर्यावरण की क्षति होगी। जगजीतपुर और मिस्सरपुर के बीच वर्तमान अन्तर्राज्जीय बस अड्डा को दिखाया गया है जहॉ वर्तमान में बाग है जबकि बगल में खाली भूमि है।	महायोजना प्रारूप में प्रदर्शित भू–भाग पर अस्पताल तथा बागों को सुरक्षित रखते हुये धार्मिक, सांस्कृतिक के साथ सूचना प्रौद्योगिकी व गंगा किनारे 30 मीटर मार्ग।	इस महायोजना में सर्वाधिक उद्यानों को संरक्षित किया गया वहीं प्रसिद्ध बाग को यथावत् रखा जा सकता है। पूर्व महायोजना मे नदी किनारे वाली सड़क 45 मीटर एवं सांस्कृतिक, जबकि प्रारूप में 30 मीटर के साथ सांस्कृतिक एवं बाग
40.	516, 517	आश्रम के नाम से अलग से भू–उपयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आश्रम आवासीय ही होता है। आश्रम के नाम से अलग से भू–उपयोग लेकर संतो, महंतों का अपमान किया जा रहा है। आश्रम भू–उपयोग से आवासीय भूखण्डों के मानचित्रों में भी पार्किंग का प्रावधान करना पड़ेगा जो सरासर अन्याय होगा। अतः आश्रम भू–उपयोग खत्म किया जाय।	——	आश्रम धार्मिक प्रयोजन एवं यात्रियों के सामूहिक प्रवास को दृष्टिगत रख इसे ग्रुप हाउसिंग से भिन्न उपयोग के रूप में मानक आम आवास से हटकर दिये गये हैं। इस प्रकार धार्मिक महत्व को अंगीकार किया जाना किसी प्रकार का अपमान भी नहीं है। अतः प्रारूप के अनुरूप ही प्रस्ताव बनाये रखा जाने का निर्णय।

		आवासीय को पूर्ववत् बी–1, बी–2 में दर्शाया जाए। पूर्व विकसित कालोनियों को विकास शुल्क से मुक्त रखा जाय। यातायात परिसंरचना के अन्तर्गत गोबिन्दपुर कालोनी के पीछे 24 मीटर चौड़ी सड़क को सिंचाई विभाग की तरफ रखा जाय।	———	ग्रामीण आबादी को मध्यम घनत्व में रखने के कारण मौलिक सुविधाओं के प्रावधान की सम्भावना व निजी आवास शहरी या ग्रामीण की सुनिश्चितता करने हेतु घनत्व से परिभाषित करने से इस प्रयोजन में एकरूपता बनाई रखी गयी। मार्गों का प्रावधान विभिन्न उपयोगों के नियोजन सम्मत ही है। अतः प्रारूप के अनुरूप ही प्रस्ताव बनाये रखा जाने का निर्णय।

सुनवाई समिति की बैठक दिनांक 25 मार्च, 2009 में संस्तुतियों को अन्तिम रूप देते समय उक्त के अतिरिक्त संस्तुतियॉं–

1– ग्रामीण क्षेत्र विकास जो घोड़ा पुलिस कैम्प के साथ हो चुका है, को कुम्भ मेला में दर्शाया जाना तर्कसंगत नहीं होगा। अतः इसकी सीमा के उपरान्त कोई नवीन प्रस्ताव न किया जाय। अवशेष बैरागी कैम्प क्षेत्र को यथावत कुम्भ मेला क्षेत्र व विद्यमान बाग में आरक्षित रखे जाने की संस्तुति।

2– समिति द्वारा एकमत से संस्तुति की गई कि बहादराबाद से पतांजली योग केन्द्र की ओर स्थित नदी पुल तक के मार्ग के दोनों ओर व्यवसायिक उपयोग का आईसोलेशन में कोई औचित्य नहीं। अतः इसे पूर्ववत् कृषि में ही रखा जाय।

3– महायोजना क्षेत्र में भूपतवाला से हरिद्वार, कनखल एवं ज्वालापुर तक गंगा नदी, गंगा नहर एवं अन्य गंगा की धाराओं के दोनों किनारों से 100–100 मीटर तक की सीमा में विद्यमान निर्मित भवनों के पुनर्निर्माण, परिवर्तन परिवर्द्धन की अनुमन्यता महायोजना प्रस्तावों एवं प्रचलित भवन निर्माण व विकास उपविधियों के अनुरूप केवल उस स्थिति में ही विचारणीय होगी यदि उस क्षेत्र में सीवेज प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था विद्यमान हो तथा गंगा नदी, गंगा नहर एवं अन्य गंगा की धाराओं के किनारे की ओर न्यूनतम 6 मीटर क्षेत्र खुला रखा जाए तथा न्यूनतम मार्गाधिकार 9 मीटर होना सुनिश्चित किया गया हो। जबकि 100–100 मीटर के पश्चात् क्षेत्र में सीवेज प्रणाली की उपलब्धता एवं न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार सुनिश्चित कराने के प्रतिबन्ध के साथ महायोजना प्रावधानानुसार ही अनुमन्य होगी। महायोजना के अवशेष भाग में गंगा नदी, गंगा नहर के दोनों ओर की दोनों तटीय क्षेत्र के 200–200 मीटर भाग में किसी भी प्रकार के निर्माण अनुमन्य न किये जाने की संस्तुति।

4– राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहादराबाद–बी0एच0ई0एल0 से सम्पर्क मार्ग, भारत माता मन्दिर–पावन धाम की क्रासिंग पर राष्ट्रीय मार्ग के भाग पर एलीवेटेड मार्ग का भी प्रावधान समाहित कर लिये जाने का निर्णय लिया गया।

5– नजीबावाद मार्ग एवं गंगा नदी के मध्य स्थित ग्रामीण आबादी समूह विशेषकरण सज्जनपुर पीली एवं श्यामपुर नौआवाद को आवासीय न्यून घनत्व में ही दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया अवशेष प्रस्ताव प्रारूप अनुसार ही।

अधीक्षण अभियन्ता या प्रतिनिधि
लोक निर्माण विभाग

प्रतिनिधि
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण